मु0न0:-69/2023

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी

दिनांकः— 24.07.2023

मु0न0 69/2023

पीठासीन अधिकारीः— सुनीता मीना आर.ए.एस

उनवान

रामेदवा पुत्र कल्ला जाति बैरवा निवासी जौल तहसील टोडाभीम। (सायल)

बनाम

1. काडूराम पुत्र लच्छीराम
2. महीराज पुत्र काडूराम
3. बनैसिंह पुत्र काडूराम
4. बनवारीलाल पुत्र लच्छीराम
5. कैलाश चन्द पुत्र लक्ष्मण
   जाति मीना निवासी जौल तहसील टोडाभीम।
6. तहसीलदार टोडाभीम जिला गंगापुर सिटी।

(गैरसायलान)

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थितिः— श्री हंसराम गूर्जर एडवोकेट सायल
श्री मनोज कुमार शर्मा एडवोकेट गैरसायलान

## निर्णय

दिनांक 31.07.2024

सायल द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम जौल की आराजी ख0न0 807/0.51, 808/0.01, 809/0.58, 812/0.78, 812/994/0.84 कुल किता 5 कुल रकवा 2.72 है0 मे सायल 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल व अन्य सहखातेदरान ने बहामी तौर से बटनी के आधार पर ख0न0 812 रकवा 0.78 है0 मे से 0.34 है0 पर काबिज काश्त है। सायल के कब्जे के 0.34 है0 की पूर्व दिशा मे ख0न0 812 की शेष भूमि जिस पर कैलाश आदि काबिज है। पश्चिम मे किशन बैरवा का उत्तर मे छाज्या, परमा बैरवा का खेत और दक्षिण मे रामसहाय का खेत है। सायल के हिस्से व कब्जे की आराजी से गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का कोई सरोकार किसी प्रकार का नही है। गैरसायलान ने एक गिरोह बना रखा है जो आये दिन गरीब लोगो की जमीनो पर कब्जा करते रहते है।

सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0न0 812 रकवा 0.78 है0 मे से 0.34 है0 पर सायल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामदेव बनाम काडूराम वगै0 मे गैरसायलान द्वारा राजीनामा इस शर्म पर किया कि सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0न0 812 रकवा 0.78 है0 मे से 0.34 है0 मे सायल की आराजी से हम गैसायलान का कोई सरोकार नही है सायल को उक्त भूमि के संबध मे भविष्य मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नही करेगे। सायल अपनी भूमि पर शांतिपूर्व काश्त करेगे। तथा सायल से गैरसायल न0 5 का जो पैसे का लेन देन था वो चुकती हो चुका है। जिस पर न्यायायल हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2022 को राजीनामा दस्दीक करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किया है।

बॉका दिनांक 18.07.2023 को सायल अपने कब्जे की भूमि की देखभाल कर रहा था कि गैरसायलान खेत पर आये और कहा कि तू इस भूमि पर [illegible] हम इस भूमि पर लटठ के बल पर कब्जा काश्त करेगे। सायल ने गैरसायलान को काफी समझाया लेकिन वो नही माने इसलिये यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी।

अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार फरमाया जाकर गैरसायलान को ता दावा फैसला इस अम्र से पाबन्द फरमाया जावे कि वे भूमि ख0न0 812 रकवा 0.78 है0 बॉके ग्राम जौल मे से सायल के हिससे व कब्जे की भूमि 0.34 है0 पर कब्जा नही करे सायल को शांतिपूर्वक काश्त करने देवे तथा सायल के कब्जे काश्त मे किसी प्रकार का व्यवधान नही करे तथा ऐसा कोई कार्य ना तो स्वंय करे नाही किसी अन्य से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। गैरसायल न0 06 तहसीलदार टोडाभीम उपस्थित, गैरसायलान न0 1, 3 बावजूद सूचना अनुपस्थित न्यायालय रहने से इनके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही की गई। गैरसायल न0 2,4,5 ने जरिये वकालतन जबाब पेश किया कि सायल आराजी ख0न0 812 रकवा 0.78 है0 मेसे 0.34 है0 मे दर्ज सीमान्तर्गत पर नाही तो काबिज है और नाही कोई गैरसायल का कोई संबध सरोकार ही है और नाही कोई गैरसायलान का गिरोह है। बल्कि वास्त मे सायल द्वारा गैरसायल न0 5 कैलाश से बतौर ऋण 4,75,432 रूप्ये मिती भादव सुदी नौमी सम्वत 2071 तारीख 3.9.14 को 2रू0 प्रति सैकडा की दर पर उधार लिये थे जिनमे से पच्चीस हजार रूप्ये के ब्याज बावत सायल ने वादग्रस्त आराजीयात को गैरसायल न0 5 को रहन रख दिया और उक्त पच्चीस हजार रूप्ये का ब्याज नही लेना तय हुआ और उक्त आराजीयात पर उसी दिन कब्जा मौके पर गैरसायल न0 5 का करा दिया और उसी दिन से गैरसायल काबिज एवं दखील है। एवं इस साल गैरसायल न गेहू फसल काश्त की है। प्रार्थना पत्र मे मद न0 5 मे दर्ज राजीनामा पर गैरसायल न0 2 व 5 के सायल ने गैरसायल न0 2 व 5 को यह कर कर हस्ताक्षर करवा लिये कि मै घर चलकर आपकी बकाया चुकती राशी जमा करा दूंगा और आपके खाते को हमेशा हमेशा के लिये बन्द करा दूंगा। लेकिन गैरसायलान के न्यायालय से घर पहुचते ही सायल अपने उक्त कथन से बिल्कुल बदल गया और राशी को जमा नही कराकर खाते को बन्द नही कराया और नाही सायल ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्राप्त किया इस प्रकार राजीनाम विश्वासधात कर कपटपूर्वक गैरसायल न0 2 व 5 के हस्ताक्षर कराकर माननीय न्यायालय मे पेश किया है। इस प्रकार उक्त राजीनामा मुताबिक संविदा अधिनियम स्वतंत्र सहमति से किया गया नही है जो शून्य एवं प्रभावहीन है। सायल ने वादग्रस्त आराजीयात के रहन बावत कथन गैरसायल न0 5 की बही मे दिनांक 03.09.2014 को दर्ज करवा दिये है, जिनसे आज सायल मुताबिक अन्तर्गत धारा 6 सम्पत्ति अंतकरण अधिनियम एस्टोप्ड है, जिनसे बदलने की इजाजत कूनन सायल को नही दी जा सकती। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र मे बॉका दिनांक 18.07.2023 का दर्ज किया है जबकि वाद कारण 16.07.2022 को उत्पन्न होना दर्ज किया है, जो कानूनन संभव नही है इस प्रकार सायल द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज वादकारण पूर्णतया झूठा व गलत होना स्पष्ट है अतः सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

उभयपक्ष वकील की बहस सुनी गई। सायल ने प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करे हुये कथन किया कि ग्राम जौल की आराजी ख0न0 807/0.51, 808/0.01, 809/0.58, 812/0.78, 812/994/0.84 कुल किता 5 कुल रकवा 2.72 है0 मे सायल 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल व अन्य सहखा[illegible] के आधार पर ख0न0 812 रकवा 0.78 है0 मे से 0.34 है0 पर काबिज काश्त है। [illegible] हिस्से व कब्जे की आराजी से गैरसायलान या अन्य किसी व्यक्ति का [illegible] सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि ख0न0 812 रकवा 0.78 है0 मे से [illegible] है0 पर सायल द्वारा एक प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा उनवानी रामदेव बनाम काडूराम वगै0 मे गैरसायलान द्वारा राजीनामा इस शर्म पर किया कि सायल के कब्जे काश्त व खातेदारी की [illegible] ख0न0 812 रकवा 0.78 है0 मे से 0.34 है0 मे सायल की आराजी से हम गैसायलान का कोई सरोकार नही है सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:40:10 IST
Reason: SelfAttested

(सुनीता मीना)
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

को उक्त भूमि के संबध मे भविष्य मे किसी प्रकार की कोई मजाहमत मदाखलत पैदा नही करेगे। सायल अपनी भूमि पर शांतिपूर्व काश्त करेगे। तथा सायल से गैरसायल न0 5 का जो पैसे का लेन देन था वो चुकती हो चुका है। जिस पर न्यायायल हाजा द्वारा दिनांक 26.07.2022 को राजीनामा दस्दीक करते हुये प्रार्थना पत्र खारिज किया है।. सायल का प्राईमाफेसी केस बखूबी साबित है तथा सुविधा का संतुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का सिद्वान्त भी सायल के पक्ष मे है। अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से गैरसायलान को कोई क्षति किसी प्रकार की नही है। जबकि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही होने से सायल को अपूर्तनीय क्षति हो जावेगी। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.07.2024 को ता दावा फैसला कन्फर्म. किया जावे।.

गैरसायलान वकील ने जबाब प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यो का दोहरान करते हुये. कथन किया कि सायल आराजी ख0न0 812 रकबा 0.78 है0 मेसे 0.34 है0 मे दर्ज सीमान्तर्गत पर नाही तो काबिज है और नाही कोई गैरसायल का कोई संबध सरोकार ही है और नाही कोई गैरसायलान का गिरोह है। बल्कि वास्त मे सायल द्वारा गैरसायल न0 5 कैलाश से बतौर ऋण 4,75,432 रूप्ये मिती भादव सुदी नौमी सम्वत 2071 तारीख 3.9.14 को 2रू0 प्रति सैकडा की दर पर उधार लिये थे जिनमे से पच्चीस हजार रूप्ये के ब्याज बावत सायल ने वादग्रस्त आराजीयात को गैरसायल न0 5 को रहन रख दियां और उक्त पच्चीस हजार रूप्ये का ब्याज नही लेना तय हुआ और उक्त आराजीयात पर उसी दिन कब्जा मौके पर गैरसायल न0 5 का करा दिया और उसी दिन से गैरसायल काबिज एवं दखील है। एवं इस साल गैरसायल न गेहू फसल काश्त की है। प्रार्थना पत्र मे मद न0 5 मे दर्ज राजीनामा पर गैरसायल न0 2 व 5 के सायल ने गैरसायल न0 2 व 5 को यह कर कर हस्ताक्षर करवा लिये कि मै घर चलकर आपकी बकाया चुकती राशी जमा करा दूंगा और आपके खाते को हमेशा हमेशा के लिये बन्द करा दूंगा। लेकिन गैरसायलान के न्यायालय से घर पहुचते ही सायल अपने उक्त कथन से बिल्कुल बदल गया और राशी को जमा नही कराकर खाते को बन्द नही कराया और नाही सायल ने वादग्रस्त आराजी पर कब्जा प्राप्त किया इस प्रकार राजीनाम विश्वासधात कर कपटपूर्वक गैरसायल न0 2 व 5 के हस्ताक्षर कराकर माननीय न्यायालय मे पेश किया है। इस प्रकार उक्त राजीनामा मुताबिक संविदा अधिनियम स्वतंत्र सहमति से किया गया नही है जो शून्य एवं प्रभावहीन है। सायल ने वादग्रस्त आराजीयात के रहन बावत कथन गैरसायल न0 5 की बही मे दिनांक 03.09.2014 को दर्ज करवा दिये है, जिनसे आज... मुताबिक अन्तर्गत धारा 6 सम्पत्ति अंतकरण अधिनियम एस्टोप्ड है, जिनसे बदलने की ... कूनन सायल को नही दी जा सकती। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र मे बॉका दिनांक 18.07... दर्ज किया है जबकि वाद कारण 16.07.2022 को उत्पन्न होना दर्ज किया है, जो कानूनन ... है इस प्रकार सायल द्वारा प्रार्थना पत्र मे दर्ज वादकारण पूर्णतया झूठा व गलत होना स्पष्ट है अ... सायल का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य है।

विद्वान वकील की बहस पर गहनता से मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा को निर्णित करने के लिए विचारणीय न्यायालय को तीन बिन्दुओ को तय किया जाना होता है।

1. **प्रथम दृष्टया प्रकरणः—** प्रार्थना पत्र मे वर्णित आराजी पत्रावली मे शामिल ग्राम जौल की जमाबन्दी सम्वत 2074—77 के खाता न0 226 मे कुल किता 5 कुल रकवा 2.72 है0 मे सायल 1/8 हिस्से का खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। शेष हिस्से मे मुताबिक जमाबन्दी मे दर्ज हिस्सानुसार अन्य सहखातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। सायल ने अपने प्रार्थना पत्र मे गैरसायल न0 5 से ऋण लेना स्वीकार किया है। जिसे गैरसायल न0 5 को ऋण चुकता करने का नातो कोई दस्तावेज पेश किया है और नाही कोई साक्ष्य करवाई है। न्यायालय हाजा द्वारा जब पूर्व मे सायल द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व प्रार्थना पत्र को राजीनामे के आधार पर खारिज किया गया है तो अब प्रार्थनापत्र वादपत्र को स्वीकार किया जाना न्यायोचित नही है। इस संबध मे गैरसायल न0 5 ने दिनांक 23.02.2024 को बही की प्रति पेश की है जिसमे स्पष्ट अंकन है कि

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:10 IST
Reason: SelfAttested

( सुनीता मीना )
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
...गंगापुर सिटी

सायल द्वारा चुकती ऋण चुकता करने पर आराजी पर सायल का कब्जा कराया जावेगा। उभयपक्ष वकील की बहस व पत्रावली मे शामिल दस्तावेजो के आधार पर पृथम दृष्टया प्रकरण सायल के पक्ष मे साबित नही होकर गैरसायलान के पक्ष मे साबित है।

2. **सुविधा का संतुलनः—** पत्रावली मे शामिल दस्तावेजात के आधार पर प्रथम दृष्टया प्रकरण गैरसायलान के पक्ष मे साबित होने से सुविधा का संतुलन सायलान के पक्ष मे साबित है।
3. **अपूर्तनीय क्षतिः— प्रार्थना पत्र मे** वर्णित आराजीयात मे यदि गैरसायलान को पाबन्द किया जाता है तो गैरसायलान को अपूर्तनीय क्षति होने की पूर्ण संभावना है।

अतः न्यायालय हाजा द्वारा जारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 24.07.2023 को खारिज करते हुये सायल का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 31.07.2024 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुनीता मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

सुनीता मीना
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, टोडाभीम, जिला-गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sunita Meena
Date: 2024.09.10 11:10:10 IST
Reason: SelfAttested